

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा)

वाद संख्या :- 02/32/2011

विनोदीलाल बनाम राधेश्याम वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट



आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट धीरोडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 28.02.2011 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 123/0.28 है। वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 11.04.2011 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 05.12.2014 को उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2011 से प्रभावी चल रहा है जिसे करीब 7 वर्ष का समय हो गया है। इसलिए प्रकरण में पूर्व टी.आई. आदेश दिनांक 28.02.2011 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 123/0.28 है। वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 28.02.2011 ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट धीरोडा)